न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पहाडी (डीग) राज0

पीठासीन अधिकारी सुनीता यादव आर0ए0एस

मुकदमा नं0 127/2023

1. फजरू पुत्र रूजदार उर्फ मन्टू
2. रहीसन पत्नी आसमौहम्मद
3. रिहाना पत्नी साकिर जातियान मेव निवासीयान ग्राम पापडा तहसील पहाडी जिला भरतपुर राज0।

प्रार्थीगण

बनाम

1. अकतर
2. हसन मौहम्मद
3. जाकिर पिसरान सुमेर खाँ
4. मकसूदन पत्नी सुमरे जाति मेव निवासी जोतरी पहाडी तहसील पहाडी
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पहाडी (भरतपुर)

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13 जा0दी0 बाबत
अपास्त किये जानेएक पक्षीय डिक्री
दिनांक 18/07/23 सम्बन्धित प्रकरण अकतर
बनाम फजरू वगै0 मु0न0 236/2022

उपस्थित :– श्री सतीश शर्मा वकील प्रार्थीगण
श्री मुकेश कुमार वकील अप्रार्थी संख्या 1

दिनांक :– 21/03/2024

निर्णय

प्रार्थीगण द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा आदेश 9 नियम 13 जा0दी0 इस आशय का पेश किया कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 10/0.59, 11/0.58, 15/0.74, किता–3 रकबा 1.91 हैक्टर बांके ग्राम जोतरी पहाडी तहसील पहाडी में स्थित है उक्त खसरा नम्बरान की बाबत एक वाद उनवानी अकतर बनाम फजरू वगै0 अन्तर्गत धारा 88,89, 188 आर0टी0 एक्ट के अन्तर्गत न्यायालय श्रीमान के समक्ष अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण के खिलाफ प्रस्तुत किया गया । उक्त प्रकरण न्यायालय श्रीमान द्वारा दर्ज कर प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण उपस्थित होने बाबत दिनांक 09/12/2022 को सम्मन जरिये रजिस्टर्ड ए0डी0 जारी किये गये उक्त प्रकरण में प्रार्थीगण /तरतीवी प्रतिवादीगण को तलब करने हेतु जारी सम्मन जरिये रजिस्टर्ड ए0डी0 की तामील विधि पूर्ण तरीके से नहीं की गई जबकि प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण अपने गांव पापडा में ही रह रहे है । तामील कुनिन्दा तामील कराने के लिये प्रार्थीगण /प्रतिवादीगण के गांव नहीं गया पत्रावली के आदेश का दिनांक

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (डीग)

09/12/2022 के अनुसार प्रार्थीगण को तलब करने हेतु रजिस्टर्ड ए0डी0 से तामील कराना व दिनांक 20/12/2022 को न्यायालय श्रीमान द्वारा प्रार्थीगण के खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही किया जाना अंकित किया है। जबकि प्रार्थीगण /प्रतिवादीगण को प्रकरण के बारे में कोई जानकारी नहीं थी प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण के खिलाफ उक्त प्रकरण में की गई एकपक्षीय कार्यवाही दिनांक20/12/2022 अवैधानिक तरीके से कानून के खिलाफ की गई है इसिलए एकपक्षीय पारित निर्णय डिक्री दिनांक 18/07/2023 अपास्त किये जाने योग्य है। प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण को उक्त प्रकरण में उपस्थित हेतु न्यायालय श्रीमान द्वारा दिनांक 09/12/2022 को उपस्थित होने बाबत जारी रजिस्टर्ड ए0डी0 सम्मन की समयक व विधिपूर्ण तरीके से तामील नहीं कराई गई जिस कारण प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण को उक्त प्रकरण की कोई जानकारी नहीं है। इसलिए एक पक्षीय डिक्री व निर्णय दिनांक 18/07/2023 अपास्त किये जाने योग्य है। उपरोक्त प्रकरण के प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण को सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया है। मामला अचल सम्पत्ति से संबन्धित है जिसमें प्रार्थीगण /प्रतिवादीगण के हक व अधिकार नियत है। प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण अपने हिस्से की भूमि पर वाहैसियत खातेदार काश्तकार चले आ रहे है तथा मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड आज भी अपने–अपने हिस्से की भूमि पर कब्जा काश्त है। दिनांक 27/07/2023 को प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण अपनी आराजी भूमि पर काश्त कर रहे थे तभी अप्रार्थीगण/वादी आये और ऐलानिया कहा कि हमने तुम्हारे खिलाफ न्यायालय से एक पक्षीय कार्यवाही कराकर व राजस्व कर्मचारियो से साज कर अपने हक में न्यायालय से डिक्री व निर्णय करा लिये है अब हम तुम्हे काश्त नहीं करने देगे आराजी मुतदाविया बाबत प्रार्थीगण /प्रतिवादीगण द्वारा दिनांक 27/07/2023 को ऐलानिया धमकी देने के बाद प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण को दिनांक 28/07/2023 को उक्त प्रकरण की नकल प्राप्त करने पर एकपक्षीय डिक्री की जानकारी हुई । अतः प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13 जा0दी0 पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर एक पक्षीय डिक्री दिनांक 18/07/2023 अपास्त किया जाकर प्रकरण में विधि पूर्ण तरीके से प्रार्थीगण /प्रतिवादीगण को पुनः सुनवाई का अवसर जबाब पैरोकारी साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर देते हुये पुनः निर्णय पारित करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया । अप्रार्थी संख्या 1 न्यायालय में उपस्थित आये नकल प्रार्थना पत्र बाबत मुन्तकिल आदेश दिनांक 02/02/2024 न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर पेश की जिसमें प्रार्थी संख्या 3 रिहाना की ओर से पेश किया गया । मुन्तकिल प्रार्थना पत्र न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा अपने आदेश दिनांक 02/02/2024 से खारिज किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (डीग)

Scanned with OKEN Scanner

प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13 जा0दी0 में प्रार्थी संख्या 2 रहीसन पत्नी आसमौहम्मद ने इस न्यायालय में प्रार्थना पत्र पेश किया कि प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को प्रार्थीया अपने हक व अधिकारो तक विड्रो कर अलग से कानूनी कार्यवाही करने की स्वतन्त्रता के साथ विड्रो चाहती है क्योंकि प्रार्थीया के अपने परिवारीजन से इस समय संबन्धों दरार है। उक्त प्रार्थना पत्र पर न्यायालय द्वारा दिनांक 16/08/2023 को प्रार्थीया रहीसन का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुये प्रार्थीया की ओर से उक्त प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13 जा0दी0 से प्रार्थीया संख्या 2 रहीसन की ओर से प्रार्थना पत्र विड्रो किया गया। प्रार्थीया रहीसन ने उक्त निर्णय दिनांक 18/07/2023 के विरूद्ध न्यायालय श्रीमान राजस्व अपील प्राधिकारी महोदय, भरतपुर के यहाँ अपील दायर कर रखी है जो आज भी न्यायालय में विचाराधीन है। जिसका अपील संख्या 06/2023 है।

हमने वकील फरीकेन की बहस सुनी । बहस में प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र में दर्ज तथ्यों को दोहराया।

प्रार्थीगण फजरू वगैराह ने इस न्यायालय के आदेश दिनांक 18/07/2023 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 जा0दी0 बाबत अपास्त किये जाने एकपक्षीय निर्णय/डिक्री पेश कर रखा है एवं प्रार्थीया रहीसन पत्नी आसमौहम्मद ने इस न्यायालय में विचाराधीन प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 जा0दी0 से प्रार्थना पत्र विड्रो किया गया। विड्रो करने के उपरान्त प्रार्थीया रहीसन ने उक्त निर्णय दिनांक 18/07/2023 के विरूद्ध न्यायालय श्रीमान राजस्व अपील प्राधिकारी महोदय, भरतपुर के यहाँ अपील दायर कर रखी है जो आज भी न्यायालय में विचाराधीन है। जिसका अपील संख्या 06/2023 है। एक निर्णय के विरूद्ध दो न्यायालयों में अपील दायर नहीं जा सकती । ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र काबिले खारिज किये जाने योग्य है।

अतः आज्ञा है कि :-

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 जा0दी0 उक्त विवेचन के आधार पर खारिज किया जाता है

निर्णय आज दिनांक 21/03/2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(सुनीता यादव)
उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (डीग)